

दिनांक 07.10.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियोजन की ओर से नामित अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्त मुरलीधर, घनश्याम, माधव अग्रवाल एवं सुरेन्द्र मय विद्वान अधिवक्ता श्री महेश बलूनी उपस्थित। अन्य अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महेश बलूनी द्वारा हाजरी माफी प्रार्थना कागज संख्या 57ब प्रस्तुत। सुना। न्याय हित में केवल आज के लिए स्वीकृत। गवाह उपस्थित। बयान पी0 डब्लु0 3 शशीकान्त के अंकित किये गये।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 16.10.2023 को पेश हो।

(मौ0 याकूब)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पौड़ी गढ़वाल।